



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग के अपहरण व हत्या के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 66,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 266/20 धारा-363,342,376एबी,302,201 भा0द0सं0 व 6पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त संतोष कोरी पुत्र राजाराम कोरी निवासी रागौल थाना-मौदहा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व ₹66,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री रुद्रप्रताप
सिंह



विवेचक-
निरी0 मनोज कुमार
शुक्ला



पैरोकार- थाना मौदहा
का0 शुभम